राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर

कमांक

दिनांक

आम सूचना

इस आम सूचना के जरिए जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के प्रकरण संख्या **S.B. Arbitration Enforcement Application 26/2017** अनवान **Maximus Internation General Trading LLC V/s R.K. Industries** में निम्नलिखित अचल संपत्ति की नीलामी उनके आगे अंकित दिनांक एवं समय पर मौके पर की जाएगी :–

01. क्रम संख्या 13 पर अंकित संपत्ति एक दुकान संख्या 17, जो आशापूर्णा वैली ग्राम झालामण्ड तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है।
नीलामी दिनांक 27.11.2026 समय 01:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक

नीलाम की जाने वाली संपत्ति की विस्तृत जानकारी एवं जिन नियम व शर्तों के अधीन नीलामी की जावेगी उस संबंध में विस्तृत जानकारी राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

19/11/2026

रजिस्ट्रार (न्यायिक)
उच्च न्यायालय,
जोधपुर

Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR.

4920
19.11.26

357
19/11/26

26130
16/11/26

इश्तहार नीलाम

(आदेश 21 नियम 66 जब्ता दीवानी)

राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर

18/11/26

क्रमांक 2489 दिनांक.....

Maximus Internation General Trading LLC प्रेषित R.H.C Jod.

V/s

R.K. Industries

संलग्न नोटिस वारन्ट बाद कार्यवाही बाद रिपोर्ट तामील कुनिन्दा प्रेषित है ।

S.B. Arbitration Enforcement Application 26/2017

सहायक बरिसेवी
जिला एवं सैशन न्यायालय
जोधपुर महानगर

(1) P.J. van Grutten Esq. (Chairman) के द्वारा विनिश्चित Arbitration Award dated 03.07.2017 जिसमें प्रार्थी **Maximus Internation General Trading LLC** था और अप्रार्थी **R.K. Industries** था।

यह सूचना दी जाती है कि इस न्यायालय ने उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित संपत्ति का, पार्श्व में वर्णित वाद 1 में प्रार्थी के दावे की, खर्चों और नीलामी की तारीख तक के ब्याज सहित $11,13,795.50+£11,223.00(क्रमशः 10,52,53,674.75 रूपये + 14,30,932.50 रूपये (आज के विनिमय दर अनुसार))की राशि का है तुष्टि में नीलामी करने के लिए आदेश दिया गया है।

2899
16/11/26

नीलामी लोक नीलाम द्वारा किया जाएगा और संपत्ति अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाटों में नीलामी के लिए रखी जाएगी। विक्रय उक्त निर्णीतऋणियों की उस संपत्ति का होगा जो निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित है, उक्त संपत्ति में संलग्न दायित्व और दावे, जहां तक कि उनका अभिनिश्चय किया जा सका है, वे है, जो हर एक लाट के सामने अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

जब तक मुल्तवी करने का आदेश न किया जाए यह नीलामी तारीख 27.11.2026 को 01:00 बजे अपराह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक मौके पर प्रारम्भ होने वाली नीलामी में नीलाम किया जाएगा। किन्तु यदि ऊपर विनिर्दिष्ट ऋण और नीलामी के खर्चे किसी लाट के लिए बोली अन्तिम होने के पूर्व निविदत्त या संदत्त कर दिए जाते हैं तो नीलामी बन्द कर दिया जाएगा।

नीलामी में सर्वसाधारण को या तो स्वयं या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोली लगाने के लिए निमंत्रित किया जाता है। किन्तु उपरिवर्णित निर्णीत लेनदारों द्वारा या उनके निमित्त लगाई गई कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाएगी और न्यायालय द्वारा पहले से दी गई अभिव्यक्त अनुज्ञा के बिना उनको किया गया नीलाम विधिमान्य न होगा। नीलामी की अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित है:--

नीलामी की शर्तें

1. निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां कार्यालय की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखी गई हैं, किन्तु इस उद्घोषणा में किसी गलती, अशुद्ध कथन या लोप के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

5/11/2026
Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR

2. नीलाम की जाने वाली संपत्तियों की **न्यूनतम कीमत अक्षरे बीस लाख रूपये तय की गई है जो बोली अक्षरे रूपए पच्चीस हजार के गुणक से बढाई जावेगी।** यदि लगाई गई बोली की रकम के बारे में या बोली लगाने वाले के बारे में कोई विवाद पैदा होता है तो तुरन्त पुनः बोली लगवाई जावेगी। 26/30 16/11/21

3. उक्त नीलामी भाग लेने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि के रूप में अक्षरे रूपए चालीस हजार रूपये का बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम का रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर के कार्यालय में नीलामी तारीख से एक दिवस पूर्व 03:00 बजे अपराह्न तक जमा कराना होगा तभी नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।

4. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को जमा कराए गये बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट की एक स्वप्रमाणित प्रति एवं अपना कोई पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर कार्ड,ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड) जिसमें उसके वर्तमान निवास स्थान का पता दर्ज हो की स्वप्रमाणित प्रति बैंकर ड्राफ्ट जमा कराते समय साथ में प्रस्तुत करनी होगी इन स्वप्रमाणित प्रतियों के अभाव में धरोहर राशि के रूप में जमा कराए जाने वाले बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।

5. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त शेष सभी बोलीदाताओं के बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट नीलामी समय समाप्ति के पश्चात् मौके पर ही बऐवज रसीद संबंधित बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

6. यह बात नीलाम करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में होगी कि वह सबसे उच्चतम बोली को स्वीकार करने से उस दशा में इनकार कर दे जिसमें लगाई गई कीमत स्पष्टतः इतनी अपर्याप्त प्रतीत हो कि ऐसे इनकार करना वांछनीय हो जाता है।

7. नीलामी संचालित करने वाले अधिकारी के विवेकाधिकार में यह बात होगी कि ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएंगे वह नीलामी को आदेश 21 के नियम 69 के उपबन्धों के अधीन रहतें हुए स्थगित कर दें।

8. स्थावर संपत्ति की दशा में, जिस बोलीदाता द्वारा उच्चतम बोली लगाई जाएगी उसे नीलामी समय समाप्ति पश्चात् उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि का समायोजन करने के पश्चात् उच्चतम बोली की पच्चीस प्रतिशत राशि अगले कार्यदिवस तक बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम का रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय,मुख्य पीठ, जोधपुर के कार्यालय में जमा कराना होगा। यदि अगले दिवस को अवकाश होने की स्थिति में कार्यालय खुलने के प्रथम कार्यदिवस को कार्यालय समय में जमा कराना होगा। ऐसा करने में व्यतिक्रम होने पर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी व संपत्ति पुनः नीलाम पर चढाई जाएगी।

9. उच्चतम बोली को अंतिम करने का विवेकाधिकार रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय,मुख्य पीठ, जोधपुर को होगा।

10. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी अंतिम होने पर, अंतिम होने की दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर उच्चतम बोली की बकाया 75 प्रतिशत राशि बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से रजिस्ट्रार जनरल राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के नाम का रजिस्ट्रार न्यायिक राजस्थान उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ, जोधपुर के कार्यालय में जमा कराना होगा। यदि अगले दिवस को अवकाश होने की स्थिति में कार्यालय खुलने के प्रथम कार्यदिवस को कार्यालय समय में जमा कराना होगा। ऐसा करने में

Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR.

व्यतिक्रम होने पर जमा राशि जब्त कर ली जावेगी व संपत्ति पुनः नीलाम पर चढाई जाएगी।

26130
16/11/26

11. बकाया रकम का संदाय आदेशित अवधि के अन्दर करने में व्यतिक्रम होने पर संपत्ति का पुनः नीलाम की अधिसूचना निकाली जाने के पश्चात् किया जाएगा। जब्त की गई राशि पर बोलीदाता का कोई क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा।

आज दिनांक 05/11/2026 को मेरे हस्ताक्षर मय मोहर के जारी किया गया।

नीलाम की जाने वाली संपत्ति का विवरणः–

अप्रार्थी राकेश कुमार जैन पुत्र गौतमचंद जैन की एक दुकान संख्या 17 जो आशापूर्णा वेली, ग्राम झालामंड, तहसील व जिला जोधपुर पर स्थित है जिसके पडौस व नाप निम्न प्रकार हैः–

पड़ौस

उत्तर में– व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 16
दक्षिण में– व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 18
पूर्व में– खुली भूमि
पश्चिम में– बरामदा व पार्किंग स्थल

नाप

उत्तर– 20 फुट
दक्षिण– 20 फुट
पूर्व – 10 फुट
पश्चिम – 10 फुट

कुल क्षेत्रफल– 200 वर्गफुट
निर्मित क्षेत्रफल– 200 वर्गफुट

नोट :– उक्त सम्पत्ति दुकान में दुकान की छत व आगे का बरामदा शामिल नहीं है एवं उत्तर–दक्षिण की दीवारे शामलाती अधिकारो की है ।

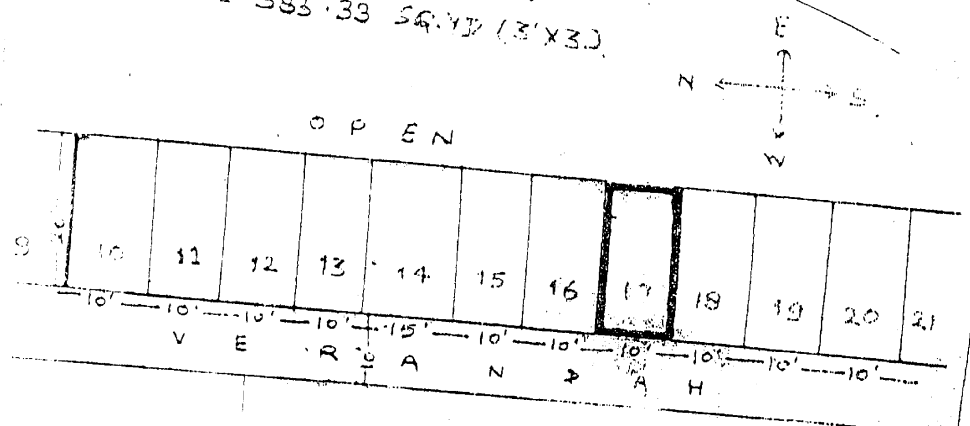
Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR.

26130
16/11/26

SITE PLAN FOR LEASE DEED OF PLOT NO. 17 IN
COMMERCIAL KHASRA NO. 18 AT ASHAPURNA
VALLEY JHALAMAND JODHPUR.

AREA = 3450.00 SQ.FT.
= 383.33 SQ.YD (3'X3')

SCALE 1=200



PARKING

PARKING

उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास
जोधपुर

सचिव
नगर विकास न्यास
जोधपुर

अध्यक्ष
नगर सुधार न्यास,
जोधपुर

PROPRIETOR/MANAGER

Registrar (Judicial)
RAJASTHAN HIGH COURT
JODHPUR.